



केन्द्रीय भवन, पंचम तला, सेक्टर-एच, अलीगढ़, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimofolk@gmail.com

पत्र सं 8बी/राज0/06/19/2014/एफ.सी./93)

दिनांक:

21-10-15

सेवा में,

प्रमुख सचिव [वन],
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर।

विषय: Widening and Upgradation of Falaudi-Jaisalmer Section of Existing NH-15 from Km 163.400 to 323.857Km in the state of Rajasthan regarding diversion of land in Jodhpur and Jaisalmer Forest Division (Applied Forest area- Forest division Jodhpur 74.118 ha. and Jaisalmer Forest Division 221.615 ha.)

संदर्भ—अतिं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर का पत्रांक— एफ14/2014/वसु/प्रमवसं/6134, दिनांक—10.09.2015


महोदय,

उपरोक्त विषय पर अतिं सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प01(68)वन/2014, दिनांक: 16.10.2014 आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयाकृत प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसाख्यक पत्र दिनांक—23.07.2015 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। जिसकी अनुपालन आख्या अतिं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के उपरोक्ता संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रत्युत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केंद्र सरकार उपरोक्त विषयाकृत परियोजना में प्रत्यावर्त वन भूमि के प्रत्यावर्त एवं (वन मण्डल जोधपुर में 2,248 वृक्षों के पातन एवं वन मण्डल जैसलमेर 6,456 वृक्षों के पातन) कुल 8,704 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः—

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. वन मण्डल जोधपुर में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित कुल वन क्षेत्र के दुगुने अवगत भूमि अर्थात् 148.36 ($74.118 \times 2 = 148.36$) हेठो पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। इस वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।
3. वन मण्डल जैसलमेर में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित कुल वन क्षेत्र के दुगुने अवगत भूमि अर्थात् 443.23 हेठो ($221.615 \times 2 = 443.23$) हेठो पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाए उक्ता वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।
4. अगर शुद्ध वर्तगान गूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
5. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास की क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किरी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
6. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किरी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रथल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन रोल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वर्गों को क्षति न हो।


8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतावित रथल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
9. प्रतावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
10. प्रतावित वन क्षेत्र का सीमा रतम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के ब्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4फीट संचे आर०सी०री० पीलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक.डी०जी०पी०एरा० निर्देशांक, Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। यह कार्य प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत् स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाएगी।
11. प्रताव के पार्ट-111 में मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा लगाई गई शर्त के अनुसार वृक्षों के पुनरस्थापन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जा चुकी है।
12. प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो उक्त परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सङ्क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर आई०आर०सी० (IRC) के दिशा निर्देशों के अनुसार रख्य के ब्यय पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
15. प्रताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

 (अमित पेटेल)
 २१/०८/१५

६) उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक, आर०ओ०एच०क्य००, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं गोडल अधिकारी, (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इण्डरस्ट्रीयल एरिया, जयपुर 302004 राजस्थान को सूचनार्थ।
4. उप वन संरक्षक, जोधपुर वन मण्डल, जोधपुर, राजस्थान।
5. उप वन संरक्षक, जैसलमेर वन मण्डल, जैसलमेर, राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई०, पी०आई०य०० कैम्प ऑफिस, F-120, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान-302019
7. श्री कमल मिश्रा, राजगांव अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली।


 (अमित मिश्र)
 ७) उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14()2014/एफसीए/प्रमुवसं/

मुख्य वन संरक्षक,
जोधपुर।

दिनांक:

Mopk(SR) Sam वा० १२



विषय:-वाईडनिंग एण्ड अपग्रेडेशन ॲफ कलौदी-जैसलमेर सेक्षन ॲफ एग्जिस्टिंग एनएच 15 फोम किमी. 163.400 टू 323.857 किमी. इन दी स्टेट ॲफ राजस्थान रिगाडिना डायर्वर्जन ॲफ फोरेस्ट लैण्ड इन जोधपुर एण्ड जैसलमेर फोरेस्ट डिवीजन्स (आवेदित वनक्षेत्र वनमण्डल जोधपुर 74.118 हैं तथा वनमण्डल जैसलमेर 221.615 हैं)।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप वन संरक्षक(केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 8 बी/राज/06/19/2014/एफसी/931 दि. 21.10.15 एवं शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक 1(68) वन/2014 दिनांक 19.11.15 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 295.733 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 8704 वृक्षों के पालन हेतु कुछ शर्तोंमें विधिवत स्वीकृति प्रदान की है। अतः निम्नांकित शर्तोंमें सम्बन्धित विभाग/संस्था को वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे दी जावे। साथ ही पालना प्रतिवेदन एवं मोनेटरिंग रिपोर्ट भिजवाई जाएः-

1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्रों में अकित समस्त शर्तों की कड़ाई से पालना की जावे।
2. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना का प्रबोधन निरंतर किया जावे।
3. मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक रजिस्टर संधारित किया जावे।

भवदीय,

संलग्न:-उक्तानुसार।

Sd/-

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 14()2014/एफसीए/प्रमुवसं/ 7229-33 दिनांक: 1.12.15
प्रतिलिपि निम्न को भारत सरकार/राज्य सरकार के उक्त पत्रों की प्रतियां सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ 1(68) वन/2014 दिनांक 19.11.15 के क्रम में।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर को प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक एवं विधिवत स्वीकृतियों की प्रतियां एवं राज्य सरकार के पत्र दि. 19.11.15 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त सं. 2 की पालना अपने स्तर से करने का कष्ट करे।
3. उप वन संरक्षक, जोधपुर/जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त के साथ-साथ स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करें:-
(i) मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में सूचना संधारित की जावे।
4. Project Director, PIU-Bikaner, PIU Camp, NHAI, F-120, Janpath Shyam Nagar, Jaipur-302019

संलग्न:-उक्तानुसार।

J. D.
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ14()2012/एफसीए/प्रमुखसं/6098

दिनांक: 09-09-2015

कार्यालय—आदेश

जिला जोधपुर एवं जैसलमेर के वनमण्डल कमशः जोधपुर, जैसलमेर में एनएच 15 के सेक्षण फलौदी—जैसलमेर किमी 163.400 से 200.000 (जोधपुर वनमण्डल) 74.118 हैं तथा किमी 200.00 से किमी 323.857 तक (जैसलमेर वनमण्डल) 221.615 हैं (कुल 295.615 हैं) वनभूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति उक्त मार्ग के वाईडेनिंग तथा अपग्रेडेशन करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 8बी/राज/06/19/2014/एफसी/381 दिनांक 23.7.15 द्वारा शर्तोंधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने जरिये अपने पत्रांक 11-306/2014- एफसी दि. 7.5.15 द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत ओरिजिनल एप्लीकेशन नं. 52/2015 के संदर्भ में दि. 13.3.2015 को जारी आदेश के कम में दिये गये निर्देशों के अनुसार लिनियर प्रोजेक्ट हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण जिनमें भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा यूजर एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के कम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य आवश्यक मदों में राशि जमा करवायी गयी है, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित कर, उसका वन विभाग के पक्ष में अमल—दरामद किया जा चुका हो, उसमें राज्य सरकार के स्तर से कुछ शर्तोंधीन वनभूमि में कार्य करने की अनुमति तथा परियोजना से प्रभावित वृक्षों के पातन की स्वीकृति जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।

चूंकि उक्त परियोजना हेतु वांछित 295.615 हैं 0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा जिसकी शर्तों की पालना हेतु यूजर एजेंसी द्वारा समस्त आवश्यक राशि तदर्थ केम्पा में जमा करवा दी गई है। अतः भारत सरकार के पत्र दिनांक 8.8.14 एवं 7.5.15 एवं राज्य सरकार के पत्र दि. 12.5.15 के कम में परियोजना हेतु आवश्यक 295.615 हैं 0 वनभूमि के कार्य प्रारम्भ करने एवं (वनमण्डल जोधपुर में 2248 वृक्षों के पातन एवं वनमण्डल जैसलमेर में 6456 वृक्षों के पातन) कुल 8704 वृक्षों के पातन की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान करने की अनुमति जारी करने के आदेश एतद्द्वारा प्रसारित किये जाते हैं:—

1. प्रयोक्ता अभिकरण (NIAI) द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में दिये गये विवरणानुसार ही उक्त राजमार्ग के अपग्रेडेशन एवं सुदृढीकरण का कार्य सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
2. अपग्रेडेशन एवं सुदृढीकरण से प्रभावित वनक्षेत्र में आवश्यकतानुसार ही न्यूनतम वृक्षों का तथा अधिकतम प्रस्ताव में उल्लेखित 8704 वृक्षों का ही पातन किया जावेगा।
3. वृक्षों का पातन वन विभाग के निर्देशन एवं कठोर नियमानी में कराया जावेगा।
4. वृक्षों के कटान से प्राप्त लकड़ी मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर द्वारा स्थापित अस्थाई डिपो पर प्रयोक्ता अभिकरण (NIAI) द्वारा जमा करवायी जावेगी।
5. परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव—जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी।
6. प्रत्यावर्तन हेतु प्रभावित वनभूमि/क्षेत्र का उपयोग प्रस्ताव में उल्लेखित प्रयोजन के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
7. वनभूमि पर मजदूरों आदि के लिए किसी भी प्रकार का कैप आदि नहीं लगाया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण राज्य वन विभाग अथवा वैधानिक संस्था से वैकल्पिक ईंधन का क्य करके मजदूर इत्यादि को उपलब्ध करायेगा।

(डॉ० एस.एस. चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर।

...PTO

क्रमांक: एफ14()2012/एफसीए/प्रमुखस/ 6099-6108

दिनांक: 09-09-2015-

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जौरबाग रोड, नई-दिल्ली-110001
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यप्रेस्ट्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगढ़, लखनऊ-226024 (30प्र०)
3. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), राज०, जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
7. Project Director, PIU-Bikaner, PIU Camp, NHAI, F-120, Janpath Shyam Nagar, Jaipur-302019 को उनके पत्रांक 143 दि. 18.8.15 के क्रम में।
उप वन संरक्षक, जोधपुर/जैसलमेर।
8. रक्षी पत्रावली।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटोक्लन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, जैसलमेर

क्रमांक:एफ()उपसं/उवस/2015-16/ ५९५७

दिनांक २१/१२/०५

मुख्य वन संरक्षक,
जोधपुर

विषय:— Widening and Upgradation of Falaudi-Jaisalmer Section of Existing NH-15 from Km.163.400 to 323.857 Km in the state of Rajasthan regarding diversion of land in Jodhpur and Jaisalmer Forest Division (Applied Forest area-Forest division Jodhpur 74.118 ha.and Jaisalmer Forest Division 221.615 ha)

- संदर्भ:— 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर का पत्रांक एफ14() 2014/एफसीए/प्रमुवसं/5544 दिनांक 20.08.2015।
 2. परियोजना निदेशक प.का.ई., बीकानेर का पत्र क्रमांक No11004/2/2015/Phalodi-Jaislmer/Forest/170 Date 03/09/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में निवेदन हैं कि Widening and Upgradation of Falaudi-Jaisalmer Section of Existing NH-15 from Km.163.400 to 323.857 Km in the state of Rajasthan regarding diversion of land in Jodhpur and Jaisalmer Forest Division (Applied Forest area-Forest division Jodhpur 74.118 ha.and Jaisalmer Forest Division 221.615 ha) हेतु इस वन मण्डल की 221.615 हैक्टर वन भूमि व 6456 वृक्षों के पातन की सैद्वान्तिक स्वीकृति अनुसार इस कार्यालय की मांग अनुसार (पूर्व दर अनुसार) यूजर एजेसी द्वारा राशि जमा करवाई गई थी।

राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरों का संशोधन पत्रांक प. 1(357) वन/97- पार्ट दिनांक 12.08.2015 द्वारा की गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या (1) के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 4817 दिनांक 02.09.2015 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार राशि जमा करवाने हेतु लिखा गया था। परियोजना निदेशक प.का.ई. बीकानेर ने उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या (2) से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा संशोधित राशि अनुसार अन्तर राशि के मांग पत्र अनुसार अन्तर/शेष राशि 61,07,266/- जमा करवा दी गई है। (प्रति संलग्न है)

रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
 संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

३।।।।।

(डॉ. ख्याति माथुर)

उप वन संरक्षक

जैसलमेर

क्रमांक:एफ()तकनिकी/उवस/2015-16/
 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है—

दिनांक :

- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान जयपुर को उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या (1) के अनुक्रम में।
- परियोजना निदेशक प.का.ई. बीकानेर को उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या (2) के अनुक्रम में।

(डॉ. ख्याति माथुर)

उप वन संरक्षक

जैसलमेर

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिशनर ऑफिस के समने, नवगढ़ी लौकिकवेल फोन नं. 0291-2636753
क्रमांक एफ. () तक / FCA / लकड़ी / 2015-16 / 7533

दिनांक - 12-8-15

उप वन संरक्षक, भूख्य पर्यावरण संरक्षक,
जोधपुर

14-8-15

विषय:- Widening and Upgrading of Phalodi-Jaisalmer section of existing NH-15 from km 163.400 to 200.00 km in the state of Rajasthan regarding diversion of land in Jodhpur and Jaisalmer Forest Division (Applied Forest area - Forest Division Jodhpur - 74.110 ha.)

प्रसंग:-

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण बय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वीकृत कार्यालय (एफ.) लखनऊ पत्रांक 8वीं / राज. / 06/19/2015 / एफ.सी. / 381 दिनांक 23.07.2015 एवं अति. प्रबान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटोक्सन एवं नोडल अधिकारी(FCA) राज. जोधपुर का पत्रांक एफ.14()2014 / FCA / 4790-92 दिनांक 27.07.2015

महोदय

13/8

उपरोक्त विषयांकित परियोजना के क्रियाचयन हेतु इसांगिक पत्र द्वारा जोधपुर वन मण्डल में स्थित वन भूमि - 74.116 है के प्रत्यावर्तन एवं उसमें स्थित 2248 वृक्षों के फालन की सेंद्रान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सम्बन्ध में परियोजना निवेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प.का.इ. बीकानेर. ने उनके पत्रांक 125 दिनांक 04.08.2015 द्वारा वन मण्डल जोधपुर से सम्बन्धित सेंद्रान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की है अतः निम्नानुसार पालना रिपोर्ट वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् को मय सलान प्रेषित है:-

- वन भूमि को वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- वन मण्डल जोधपुर में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रधावित कुल वनसेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अधीन 74.118 हैंक्टेयर का दुगुने 148.236 Say 148.360 हैंक्टेयर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 1.08 लाख रुपये प्रति हैंक्टर की दर से 1,60,22,380/- तदर्थ निकास के लेखा संख्या 037100101025225 IFSC : CORP0000371 दिनांक 04.08.2015 द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक नई दिल्ली लोधी कॉम्प्लैक्स में जमा करवा दी गई है। (प्रति संलग्न)
- शर्त संख्या तीन वन मण्डल जैसलमेर से सम्बन्धित है।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मानीय उच्चतन न्यायालय के (रिट. पिटीशन सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई। संख्या 568 एवं भारत सरकार का पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आवेशानुसार गुद्ध वर्तगान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 6.26 लाख प्रति हैंक्टर से प्रत्यावर्तित वन भूमि 74.118 की कुल राशि 4,63,97,868/- रु. प्रतिपूर्ति पौधारोपण विधि प्रबंधन तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ निकास के लेखा संख्या 037100101025225 IFSC : CORP0000371 दिनांक 04.08.2015 द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक नई दिल्ली लोधी कॉम्प्लैक्स में जमा करवा दी गई है। (प्रति संलग्न)

(निरन्तर)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART-II,
SECTION 3, SUB SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, Dated the2019

S.O..... (E).- In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / two-laning with paved shoulders etc.), maintenance, management and operation of Development on National Highway No.15 (New N.H. No.-11) from Km 200+00 to Km 268+00 (Phalodi to Jaisalmer Section) in the district of Jaisalmer in the State of Rajasthan hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Officer, Jaisalmer in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

25/10/2019
मानव अधिकारी
पोलिंग, जिला जैसलमेर

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from Km 162+00 to Km 200+00 on the National Highway No. 15 (New NH. No.- 11) (Phalodi to Jaisalmer Section) in the District Jaisalmer in the State of Rajasthan :-

Sr. No.	Name of District	Name of Taluk	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Acquired Land Area (in hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jaisalmer	Pokran	Eka	54	Private	Barani IV	0.9079
2				462/54	Private	Barani IV	0.0889
Total Area of Village							0.9968

18/01/2020
पटवारी, रामदबरा
नहसील-पोकरण

Certified on report of Patwari

द्वारा प्रमाणित
पोकरण

18/01/2020
अधिकारी
पोकरण, जिला जैसलमेर